जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

क्रमांक / जविप्रा / अधि.अभि. / 12ए / 2021–22 / डी–210 दिनांकः 22.09.2021

<u>शुद्धि पत्र</u>

बिड संख्या– अधि.अभि.12ए / 08 / 2021–22

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन–12ए क्षेत्र में **विभिन्न सिविल मरम्मत कार्य,** जिसकी अनुमानित **लागत 53.60 लाख** रूपये के लिए ऑनलाईन आमंत्रित की गयी निविदा में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 01(24)नविवि / ।/ 2020 / लूज दिनांक 20.09.2021 (प्रति संलग्न) की अनुपालना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

बी.एस.आर. से कम दर प्राप्त होने पर ली जाने वाली अन्तर राशि वर्क परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जायेगी तथा इसे कार्य सन्तोषजनक पाए जाने पर दोषनिवारण अवधि उपरान्त वापस लौटा दिया जायेगा।

उक्त संशोधन की अनुपालना में निविदा प्राप्ति दिनांक 22.09.2021 एवं खोलने की दिनांक 23.09.2021 के स्थान पर प्राप्ति की दिनांक 27.09.2021 एवं निविदा खोलने की दिनांक 28.09.2021 दोपहर 3:30 बजे की जाती है।

निविदा की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

अधिशाषी अभियन्ता–12ए
जविप्रा, जयपुर।

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः– प.01(24)नविवि/।/2020 लूज　　　　　　　　　　　　　　　　　　जयपुर, दिनांकः– 20 SEP 2021

आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अर्न्तगत विभिन्न विकास कार्यो की निविदाओं में संवेदकों द्वारा बी.एस.आर. दर से कम दर डालने पर अन्तर राशि (AT PAR की दर से जितनी कम है) वर्क परफोरमेंस गारन्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जाएगी तथा इसे कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात दोष निवारण अवधि में कार्य की स्थिति सन्तोषजनक पाए जाने पर, दोषनिवारण अवधि उपरान्त वापस लौटा दिया जावेगा। न्यूनतम दरदाता की बोली नियमानुसार स्वीकृत कर Letter of acceptance (LOA) जारी किया जावेगा एव बी.एस.आर. दर से कम दर की अन्तर राशि की BG/FDR/NSC प्रस्तुत करने हेतु 14 दिवस का समय दिया जायेगा। अन्तर राशि जमा नहीं कराने पर BID SECURITY की राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावें। यदि संवेदक वर्क परफोरमेंस गारन्टी राशि जमा कराने के पश्चात कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण नही करता है अथवा दोष निवारण अवधि में कार्य में खराबी होती है तो उसकी वर्क परफोरमेंस गारन्टी की राशि जब्त कर ली जावे एवं अनुबन्धानुसार अन्य कार्यवाही भी संपादित की जावें। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है। यह आदेश उन सभी निविदाओं पर लागू होगा जो कि भविष्य में जारी होगी तथा वे निविदाएं जो इस आदेश के जारी होने की दिंनाक तक अप्राप्त है, इस सम्बन्ध में निविदा दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन तुरन्त संबन्धित उपापन अधिकारी द्वारा किया जावे एवं नवीन सभी निविदाओं में उक्त शर्तों का समावेश किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कुन्जीलाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, आबू, बाडमेर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं सवाईमाधोपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
नगरीय विकास विभाग

कार्यालय का पता– खाद्य भवन, द्वितीय तल, कमरा नं0 7203, शासन सचिवालय, जयपुर–302005
ई–मेल आई.डी. CEUDHRAJASTHAN@GMAIL.COM